क्रम-संख्या—583

रजि० नं० एल० डब्लू० एस० पी० 561
लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०-11
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 25 अगस्त, 1995

भाद्रपद 3, 1917 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1667/सत्रह-वि–1–1 (क) 38-1995

लखनऊ, 25 अगस्त, 1995

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1995 पर दिनांक 25 अगस्त, 1995 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1995 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 1995

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1995)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

चूंकि वर्ष 1989 में सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड का संगठन करने के लिए सदस्यों का निर्वाचन, नाम-निर्देशन और सम्मेलन हुआ था;

और चूंकि 19 अक्तूबर, 1989 को उक्त बोर्ड के अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ था;

और चूंकि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के रिट याचिका संख्या शून्य सन् 1989 वसी अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में आदेश के कारण उक्त बोर्ड का संगठन अधिसूचित नहीं किया जा सका था;

और चूंकि उक्त बोर्ड और उसके अध्यक्ष एवं सदस्यों के कृत्यों, शक्तियों और कर्तव्यों का पालन, प्रयोग और निर्वहन नियंत्रक द्वारा वर्ष 1989 तक किया जा रहा था;

और चूंकि नवम्बर, 1989 में राज्य विधान सभा विघटित कर दी गयी थी, जिसके परिणामस्वरूप विधान सभा के सदस्य जो उक्त बोर्ड के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे, ऐसे सदस्य नहीं रह गये थे;

और चूंकि राज्य विधान परिषद् का सदस्य, जो उक्त बोर्ड का सदस्य निर्वाचित हुआ था, भी ऐसी परिषद् का सदस्य न रह जाने के परिणामस्वरूप बोर्ड का सदस्य नहीं रह गया था;

और चूंकि बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल उसके संगठन की अधिसूचना के दिनांक से पांच वर्ष है और सदस्यों के निर्वाचन, नाम-निर्देशन और आमेलन और वर्ष 1989 में हुए अध्यक्ष के निर्वाचन से पांच वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है और बोर्ड के संगठन से सम्बन्धित अधिसूचना जारी नहीं की जा सकी है;

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 1995 कहा जायेगा।

(2) धारा 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 और 10-दिनांक 11 जुलाई, 1995 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी, धारा 5-दिनांक 16 जून, 1994 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1960 की धारा 11 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 11 में उपधारा (1) में, खण्ड (तीन) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(तीन) उन व्यक्तियों, जो राज्य सरकार की राय में इस्लामिक धर्म विद्या की मान्यता प्राप्त विद्वान हों, में से राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जाने वाला एक सदस्य,"।

धारा 13 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 13 में,—

(क) शब्द और अंक "यदि धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (3) और धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (3) में अभिविष्ट कोई भी निकाय" के स्थान पर शब्द "यदि धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (3) में अभिविष्ट निकाय" रख दिये जायेंगे;

(ख) शब्द "यथास्थिति, सुन्नी मुस्लिम अथवा शिया मुस्लिम" के स्थान पर शब्द "शिया मुस्लिम" रख दिये जायेंगे।

नई धारायें 13-क और 13-ख का बढ़ाया जाना

4—मूल अधिनियम की धारा 13 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :—

"13-क—सदस्यों के निर्वाचन, नाम निर्देशन और आमेलन और अध्यक्ष के निर्वाचन

बोर्ड के संगठन की अधिसूचना

के पूरा हो जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना प्रकाशित करेगी कि बोर्ड यथावत् संगठित हो गया है।

कतिपय परिस्थितियों में नये निर्वाचन

13-ख—जहां किसी न्यायालय के किसी आदेश के परिणामस्वरूप अथवा किसी अन्य कारण से राज्य सरकार बोर्ड के यथावत् संगठन की अधिसूचना जारी करने में असमर्थ हो और अध्यक्ष के निर्वाचन के दिनांक से पांच वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाय तो बोर्ड का संगठन अधिसूचित नहीं किया जायेगा और नये बोर्ड का संगठन करने के लिये सदस्यों और अध्यक्ष का निर्वाचन, नाम-निर्देशन और आमेलन नये सिरे से किया जायेगा।"

धारा 14 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 14 में, उपधारा (2) में शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष या बोर्ड के संगठन तक, जो भी पहले हो," रख दिये जायेंगे।

धारा 21 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 21 में,—

(क) उपधारा (2) में,—

(एक) शब्द "बोर्ड अपने किसी सदस्य को हटा सकता है, यदि वह" के स्थान पर शब्द "बोर्ड अपने अध्यक्ष अथवा अपने किसी सदस्य को हटा सकता है, यदि वह" रख दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (ख) में शब्द "या कार्य करने में असमर्थ हो अथवा" के पश्चात् शब्द "चाहे अध्यक्ष, सदस्य अथवा अन्यथा किसी रूप में," बढ़ा दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (3) में शब्द और अंक "उपधारा (2) के अधीन" के पश्चात् शब्द "अध्यक्ष अथवा" बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 23 का प्रतिस्थापन

7—मूल अधिनियम की धारा 23 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

"23—अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य के पद से हटाये जाने, पद त्याग करने, मृत्यु हो जाने या अन्य कारण से उसका स्थान रिक्त हो जाने रिक्ति की पूर्ति पर इस अधिनियम में व्यवस्थित रीति से उसके स्थान पर, यथास्थिति एक नया अध्यक्ष अथवा सदस्य निर्वाचित, आमेलित या नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा और ऐसा अध्यक्ष अथवा सदस्य तब तक पदासीन रहेगा जब तक कि वह अध्यक्ष अथवा सदस्य जिसके स्थान की वह पूर्ति करता है, ऐसी रिक्ति न होने की दशा में पदासीन रहने का हकदार होता।"

धारा 24 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 24 में शब्द "उसके सदस्य पदों की किसी रिक्ति" के स्थान पर शब्द "उसके अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य के पदों की किसी रिक्ति" रख दिये जायेंगे।

संक्रमणकालीन उपबंध

9—मूल अधिनियम में अथवा किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी—

(एक) उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 1995 के प्रारम्भ होने के पूर्व मूल अधिनियम के अधीन किया गया अथवा किये जाने के लिए तात्पर्यित सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के यथास्थिति सदस्य या अध्यक्ष का निर्वाचन, नाम-निर्देशन या आमेलन निरस्त हो जायेगा;

(दो) राज्य सरकार मूल अधिनियम की धारा 13-क के अधीन अधिसूचना द्वारा सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड और शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड का, पुनर्संगठन बोर्ड के सदस्यों तथा अध्यक्षों का, यथास्थिति, निर्वाचन, नाम-निर्देशन अथवा आमेलन हो जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र करेगी।

कठिनाई दूर करने की शक्ति

10—(1) यदि इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अनुसार वक्फों के सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड अथवा शिया सेन्ट्रल बोर्ड के पुनर्संगठन के सम्बन्ध में कोई कठिनाई उठती है, तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध बना सकती है अथवा ऐसे निर्देश दे सकती है जो कठिनाई दूर करने के लिये उसे आवश्यक अथवा समीचीन प्रतीत हो :

प्रतिबंध यह है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इस धारा के अधीन कोई आदेश नहीं दिया जायेगा।

(2) उप धारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

निरसन और अपवाद

11—(1) उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अध्यादेश, 1995 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
नरेन्द्र कुमार नारंग,
प्रमुख सचिव।

No. 1667 (2)/XVII-V-1—1 (KA) 38-1995

Dated Lucknow, August 25, 1995

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Muslim Waqf (Sanshodhan) Adhiniyam, 1995 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 23 of 1995) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 25, 1995.

THE UTTAR PRADESH MUSLIM WAQFS (AMENDMENT) ACT, 1995

(U. P. Act no. 23 of 1995).

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Muslim Waqfs Act, 1960.

WHEREAS elections, nominations and co-option of the members to constitute the Sunni Central Board of Waqfs were held in the year 1989;

AND WHEREAS on October 19, 1989 the election of the President of the said Board was held;

AND WHEREAS due to orders of the Hon'ble Allahabad High Court in Writ Petition No. Nil of 1989 Wasee Ahmad *versus* State of Uttar Pradesh the constitution of the said Board could not be notified;

AND WHEREAS the Controller was performing, exercising and discharging the functions, powers and duties of the said Board as well as of its President and members since the year 1989;

AND WHEREAS the State Legislative Assembly was dissolved in November, 1989, as a consequence of which the members of Legislative Assembly who were elected as members of the said Board ceased to be such members;

AND WHEREAS the member of the State Legislative Council who was elected as member of the said Board also ceased to be the member of the Board consequent upon his ceasing to be the member of such Council;

AND WHEREAS the term of the members of the Board is five-years from the date of notification of its constitution and a period of more than five years has elapsed since the election, nomination or co-option of members and election of the President held in the year 1989 and the notification regarding constitution of the Board could not be issued;

IT IS HEREBY enacted in the Fourty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Muslim Waqfs (Amendment) Act, 1995.

(2) Sections 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 and 10 shall be deemed to have come into force on July 11, 1995, section 5 shall be deemed to have come into force on June 16, 1994 and the remaining provisions shall come into force at once.

Amendment of section 11 of U.P. Act No. 16 of 1960

2. In section 11 of the Uttar Pradesh Muslim Waqfs Act, 1960 hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1) *for* clause (iii) the following clause shall be *substituted* namely :—

"(iii) one member from amongst the persons who in the opinion of the State Government are recognised scholars of Islamic theology to be nominated by the State Government;".

Amendment of section 13

3. In section 13 of the principal Act—

(*a*) *for* the words and figures "If any of the bodies referred to in clause (iii) of sub-section (1) of section 11 and" the words "If the body referred to in" shall be *substituted*;

(*b*) *for* the words "Sunni Muslim or Shia Muslim, as the case may be" the words "Shia Muslim" shall be *substituted*.

Insertion of new sections 13-A and 13-B

4. *After* section 13 of the principal Act, the following sections shall be *inserted*, namely :—

Notification of constitution of the Board.

"13-A. As soon as may be after the election, nomination and co-option of the members and, the election of the President has been completed, the State Government shall, by notification in the *Official Gazette* notify that the Board has been duly constituted.

Fresh elections in certain circumstances.

13-B. Whereas a result of any order of any Court or for any other reason the State Government is unable to issue a notification of due constitution of the Board and more than five years have elapsed from the date of election of the President, the constitution of the Board shall not be notified and the election, nomination and co-option of the members and the President shall be made afresh to constitute a new Board."

Amendment of section 14

5. In section 14 of the principal Act in sub-section (2) *for* the words "one year" the words "two years or upto the constitution of the Board, whichever is earlier," shall be *substituted*.

Amendment of section 21

6. In section 21 of the principal Act—

(*a*) in sub section (2)—

(*i*) *for* the words "The Board may remove any of its members, if he—" the words "The Board may remove its President or any of its members, if he—" shall be *substituted*;

(ii) in clause (*b*) *after* the words "or is incapable of acting or acts" the words, "whether as a President, member or otherwise" shall be *inserted*;

(*b*) in sub-section (3) *after* the words "The removal of" the words "the President or" shall be *inserted*.

Substitution of section 23

7. *For* section 23 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :—

Filling of vacancy

"23. On the office of the President or any member becoming vacant by his removal, resignation, death or otherwise, a new President or member shall be elected, nominated for co-opted, as the case may be, in his place, in the manner provided in this Act and such President or the member shall hold office so long as the President or the member whose place he fills would have been entitled to hold office, if such vacancy had not occurred."

Amendment of section 24

8. In section 24 of the principal Act *for* the words "any vacancy amongst its members" the words "any vacancy in the office of the President or any member" shall be *substituted*.

Transitory provisions

9. Notwithstanding anything contained in the principal Act, or in any judgment, decree or order of any court—

(i) any election, nomination or co-option of any member or the President of the Sunni Central Board of Waqfs, as the case may be, made or purporting to have been made under the principal Act before the commencement of the Uttar Pradesh Muslim Waqfs (Amendment) Act, 1995 shall stand cancelled;

(ii) the State Government shall reconstitute the Sunni Central Board of Waqfs and the Shia Central Board of Waqfs by notification under section 13-A o the principal Act as soon as may be, after its members and the Presidents are elected, nominated or co-opted as the case may be.

Power to remove difficulty

10. (1) If any difficulty arises in regard to the reconstitution of the Sunni Central Board of Waqfs or the Shia Central Board of Waqfs in accordance with the principal Act as amended by this Act, the State Government may, by order, make such provisions or give such directions as appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulty :

Provided that no such order shall be made under this section after the expiration of one year from the commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be, before both the houses of the State Legislature and the provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act.

Repeal and savings

11. (1) The Uttar Pradesh Muslim Waqfs (Amendment) Ordinance, 1995 is hereby repealed,

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
N. K. NARANG,
Pramukh Sachiv.

[पी0 एस0 यू0 पी0--ए0 पी0 217 सा0 विध0-- (2819)--1995--850 (मेक0) ।